न्यायालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार बाड़ी

मु.न. 73/18 निर्णय दिनांक 25/11/2018

उनवान:- सरकार बनाम शकुन्तली

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी

हल्का 6 सलेमाबाद ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी

खसरा नम्बर 448/673 रकबा 1-10 बीघा किस्म चाही प्रथम

बारे ग्राम काउमपुरा पर श्रीमती शकुन्तली पत्नी पुत्र ब्रजमोहनसिंह

जाति कोली निवासी काउमपुरा तहसील बाड़ी

ने सम्बत 2074 रबी/खरीफ में फसल सरसो कर

अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि 1956 की

धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी नहीं आया

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी श्रीमती शकुन्तली पत्नी पुत्र ब्रजमोहनसिंह

जाति कोली निवासी काउमपुरा को आ. ख. नं. 448/673

रकवा 1-10 बीघा 673 वारे ग्राम काउमपुरा से तुरन्त प्रभाव से

बेदखल किया जाता है तथा लगान का 50 गुना शास्ती राशि 338/- (अक्षरे

रुपेय तीनसौ अड़तीस रु.) आरोपित की जाती है। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे। **T R A** को मतालवा कायम कराया जावें। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

फैसला आल दिनांक 25/11/2018 को

खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसील बाड़ी (धौलपुर) राज.

338-6
राशि ... का नकद ...
पंजिका के पृष्ठ क्रमांक ...
की जमा कर दी ... गई है।
दिनांक 2/12/18
सहा० ... लेखाकार
तहसील बाड़ी